

पत्रांक- 972/ 1 सी0 वन
सेवा में,

दिनांक 24/ 06/ 2023

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय:- **Diversion of 0.860 ha of forest land for Construction of Sumalta to Koladungri Motor Road in Favor of PWD. Within the Jurisdiction of Badrinath Forest Division Gopeshwar, District- Chamoli, Uttarakhand. (Online No. FP/UK/ROAD/146204/2021)**

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक संख्या 6485/ 12-1 दिनांक 17.06.2023
महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग से कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में दिनांक 29.5.2023 को हुयी एफ0आर0सी0एम0 की बैठक में चोही गयी आख्या निम्नवत् है-

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	The proposal was discussed in detail with the project proponent and the concerned DFO, it was noted that the case was also discussed in the FRCM held on 25-11-2022 . Although a reply was submitted in this response, it appears that the proposal was not assessed according to the decision taken in the FRCM, During the meeting, the KML file was reviewed, and it was observed that the village is already near the existing road If, further connectivity to the village is still necessary, the State Government may propose a road from the northern side of the village, requiring lesser dense forest and affecting lesser number of tree. However, the user agency has provided a justification that the farmers are unwilling to give their land in that stretch, which could not be an acceptable justification for fragmenting the dense forest. After the discussion, it was decided that the State Government , if required may submit the revise proposal form northern side of the village as the proposed alignment is not found to be acceptable.	महोदय, आपके द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार लामान्वित होने वाले गाँव कोलाडुंग्री को उत्तर दिशा में स्थित कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऊपर स्थित मार्ग से उक्त गाँव को जोड़ने हेतु दो विकल्प हो सकते हैं- विकल्प 1-ग्राम विडोली से-पूर्व में इस गाँव से ग्राम कोलाडुंग्री को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2480/ 2015 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी, परन्तु ग्राम विडोली, जो कि पहले से ही कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग पर स्थित है द्वारा लम्बे समय तक घोर-विरोध के कारण उक्त मार्ग का निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ ही नहीं हो पाई। जिसके बाद क्षेत्रीय जनता के अनुरोध पर लामान्वित होने वाले गाँव कोलाडुंग्री को डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से जोड़ने हेतु फरवरी 2019 में स्वीकृति प्राप्त हुई। जिससे उक्त राजस्व ग्राम कोलाडुंग्री को मोटर मार्ग से समायोजित किया जा सके। विकल्प 2- ग्राम फलोटा से- जैसा कि डिजिटल मैप आदि में देखा जा सकता है कि ग्राम फलोटा लामान्वित होने वाले गाँव कोलाडुंग्री के ठीक ऊपर स्थित है तथा उक्त भू-भाग का ढाल लगभग 45° है तथा यह ढाल भी बहुत कम चौड़ाई में है, जो गाँव कोलाडुंग्री के ऊपर अधिकतम है एवं ग्राम फलोटा तक चौड़ाई कम हो गयी है। उक्त भूभाग के दोनो ओर तीव्र ढाल वाले भू-भाग है। जिसमें मार्ग निर्माण करना ना तो आर्थिकी दृष्टि से ना ही पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है। आपके सुझाव के अनुसार ऊपर से उक्त मार्ग के निर्माण पर कई हेयर पिन बैंड की आवश्यकता होगी, जिससे मार्ग को एक आर्म के ऊपर दूसरी आर्म बनने से इस मार्ग से दोनो गाँवों को सदैव खतरा बना रहेगा। अवगत कराना है कि यदि एच0पी0 बैंड की त्रिज्या मनकानुसार न्यूनतम 12 मी0 पर मार्ग निर्माण करते है तो प्रत्येक एच0पी0 बैंड पर कम से कम 31.5 मीटर भूभाग कटिंग के कारण प्रभावित होगा, जिसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में मलबा निकलेगा। जिसका एक नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा। अतिरिक्त ग्राम फलोटा वासी, जो कि कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग से पहले से जुड़े है, अपनी भूमि उक्त मार्ग के निर्माण में देने को तैयार भी नहीं है। (अनापत्ति संलग्न) अतः ग्राम फलोटा की ओर से मार्ग निर्माण करना सम्भव नहीं है।

निम्नलिखित कारणों से भी क्षेत्रवासी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित संरेखण पर ही स्वीकृति हेतु आग्रह कर रहे हैं—

1—लाभान्वित होने वाला गाँव एक राजस्व ग्राम है, जो कि आतिथि तक मोटर मार्ग पहुँच से वंचित है।

2—ग्राम सभा कोलाडुंग्री का जूनियर हाईस्कूल कोलाडुंग्री एवं प्राथमिक विद्यालय कोलाडुंग्री ग्राम सुमल्ता में स्थित है। उक्त स्वीकृत संरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चों को उक्त स्कूल पहुँचने में सुविधा होगी। चूँकि स्थल को जोड़ जाना Obeliganatory Point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा।

3— लाभान्वित गाँव का मुख्य बाजार सिमली है, जहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 गुजरता है। स्वीकृत संरेखण पर मार्ग का निर्माण होने से लाभान्वित गाँव मात्र 8 कि०मी में राष्ट्रीय राजमार्ग से संयोजित हो जायेगा। जबकि कर्णप्रयाग—नैनीसैण मोटर मार्ग से उक्त मोटर मार्ग निर्माण से मुख्य बाजार कर्णप्रयाग की दूरी लगभग 17 कि०मी० एवं सिमली की दूरी 24 कि०मी० आयेगी।

4— लाभान्वित ग्राम सभा कोलाडुंग्री के अन्तर्गत ग्राम सुमल्ता एवं बांगडी आते हैं तथा चुनाव में मतदान स्थल का निर्माण लाभान्वित ग्राम कोलाडुंग्री में किया जाता है। स्वीकृत संरेखण पर मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम सुमल्ता एवं ग्राम बांगडी के मतदाताओं विशेषकर वृद्ध एवं दिव्यांग जनो को मतदेय स्थल पर पहुँचने में सुविधा होगी।

5— लाभान्वित गाँव कोलाडुंग्री में इस क्षेत्र का पोस्ट आफिस स्थित होने के कारण क्षेत्रीय जनता को स्वीकृत संरेखण पर मार्ग निर्माण से पोस्ट आफिस पहुँचने में सुविधा प्राप्त होगी।

6— कुल प्रभावित वृक्षों की संख्या 121 है जिसमें से 118 वृक्ष चीड़ के हैं तथा चीड़ के वृक्ष पर्यावरण की दृष्टि से भी उपर्युक्त नहीं माने जाते हैं। इस मार्ग के निर्माण से किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण वन सम्पदा को नुकसान नहीं पहुँचेगा। स्वीकृत संरेखण पर हरियाली घनत्व मात्र 0.3 है। जिससे स्पष्ट है संरेखण घने वन से न गुजर कर एक विरल क्षेत्र गुजरता है। अतः स्वीकृत Alignment ही तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त है।

अवगत कराना है कि उक्त गाँव को ऊपर स्थित कर्णप्रयाग—नैनीसैण मोटर मार्ग से जोड़ने के आप के सुझाव के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा ग्राम प्रधान कोलाडुंग्री को अनापत्ति पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। परन्तु सम्बन्धित ग्रामीणों द्वारा खुली बैठक आयोजित कर उक्त मार्ग का निर्माण प्रस्तावित संरेखण पर ही करने हेतु आग्रह किया गया है। अन्य किसी संरेखण पर क्षेत्रवासी सहमत नहीं हैं तथा प्रस्तावित संरेखण पर मार्ग निर्माण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि पूर्व में प्रस्तावित संरेखण पर ही वन भूमि स्वीकृति प्रदान करने हेतु पुनर्विचार करने की कृपा करें।

संलग्न - 3/1/2010

भवदीय

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
गौचर (चमोली)

पत्रांक संख्या

/1सी० वन

तददिनांक

प्रतिलिपि—सहायक अभियन्ता द्वितीय नि० ख० लो० नि० वि० गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
गौचर (चमोली)

सेना में

प्रमाण छात्रासी छात्रिका
सार्वजनिक निर्माण निर्माण
गोचर - चमोली

विषय:- कोलाडुंगरी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में

प्रहरी

आपने आदेश सं. 73 दि. 3-06-023 के अन्तर्गत
में आपसे निवेदन है कि सम्बन्धित विहित ग्रामों
की जनता से पुनः छानापत्ति प्रमाण दिलाने का प्रयत्न
किया गया किन्तु सम्बन्धित जनता इस से सहमत
नहीं है। इस सम्बन्धित क्षेत्र वासियों से ग्राम समिति
की बैठक की जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि प्रस्तावित
स्थान सुझाव से कोलाडुंगरी मोटर मार्ग निर्माण करने
की कृपा कीजिएगा सख्त क्षेत्र की जनता का
प्रस्ताव सख्त सेवा में प्रेषित

सारीदा देवी
अध्यक्ष

महिला मंगलदल कोलाडुंगरी
विण्डा-कर्णप्रयाग (चमोली)

अध्यक्षिका

महिला मंगलदल
कोलाडुंगरी चमोली

प्रार्थी:-

सम्बन्धित क्षेत्र की जनता

प्रधान ग्राम पंचायत
कोलाडुंगरी जि. चमोली



सत्य प्रति प्रस्ताव सं. 1 दि० 06-06-023

प्रस्ताव सं. 11- सर्व सम्मत से निर्णयित किया कि
सार्वजनिक निर्माण विभाग गौचर के प्रल सं. 73
दि० 3-06-023 के क्रम में ग्रामवासियों के नैतिक
स्थानों के ग्रामवासियों से पुनः अनुमति प्राप्त
चाहने का प्रयास किया किन्तु वे अपने पूर्व निर्णय
पर ही अडिग हैं। अतः सखान्धित विभाग से
पुनः श्रुति की जाय कि प्रस्तावित स्थान-
सुमल्ला से कोलाइंगरी मोड़ मार्ग का निर्माण
कराने की कृपा करें।

सत्य प्रति प्रमाणित:-

साहिब देव आहयाथिका
अध्यक्ष महिला मंगलदल कोलाइंगरी
विण्डा-कर्णप्रयाग (बमोली)



- 1- साहिब देव
- 2- 14/06/23
- 3- 13/06/23
- 4- वकीला
- 5- 14/06/23
- 6- 14/06/23
- 7- 14/06/23
- 8- सरोजिनी देवी
- 9- अंजु देवी
- 10- प्रशान्त सिंह
- 11- 14/06/23

- 12- 14/06/23
- 13- सरिता देवी
- 14- माधेस्वरी
- 15- 14/06/23
- 16- 14/06/23
- 17- पुष्पा देवी
- 18- गीता देवी
- 19- राकेश चन्द
- 20- 14/06/23
- 21- Ratna
- 22- Raviendra
- 23- Preeti

- 24- 14/06/23
- 25- 14/06/23
- 26- 14/06/23
- 27- 14/06/23
- 28- 14/06/23
- 29- 14/06/23
- 30- 14/06/23
- 31- 14/06/23
- 32- 14/06/23
- 33- 14/06/23
- 34- 14/06/23
- 35- 14/06/23